

विचार

कंपनियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए

देश के कानून का उल्लंघन करने वाली कंपनी को अवश्य ही दंडित किया जाना चाहिए। बहरहाल, ऐसे कदम उठाते समय जांच एजेंसियों को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि वे ना सिर्फ निष्पक्ष रहें, बल्कि निष्पक्ष दिखें भी ई-कॉर्मस क्षेत्र की फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी कंपनियों ने भारतीय कानून को तोड़ा हो, तो बेशक उन पर प्रावधान के अनुरूप सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये दोनों अमेरिकी स्वामित्व वाली कंपनियों हैं (फ्लिपकार्ट में लगभग तीन चौथाई हिस्सा वॉलमार्ट का है)। भारत के ई-कॉर्मस बाजार का सबसे बड़ा हिस्सा उनके पास ही है। एक अनुमान के मुताबिक 70 बिलियन डॉलर के इस बाजार में फ्लिपकार्ट का हिस्सा 32 और अमेजन का 24 फीसदी है। खबर है कि प्रवर्तन निदेशालय ने इनके विक्रिताओं पर छापा मारा। उसके बाद इन कंपनियों के अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आरोप है कि इन कंपनियों ने विदेशी निवेश संबंधी कानून का उल्लंघन किया। इस कानून के तहत विदेशी ई-कॉर्मस कंपनियों विक्रिताओं के बीच भेदभाव नहीं कर सकतीं। साथ ही ये विक्रिताओं से सामान खरीद कर अपना भंडार नहीं बना सकतीं। अमेजन और फ्लिपकार्ट का कहना है कि उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया। मगर ईडी का दावा है कि उसके पास इन कंपनियों के खिलाफ ठोस सबूत हैं। निर्विवाद है कि हर कंपनी- चाहे वो देशी हो या विदेशी- उसे सख्ती से देश के कानून का पालन करना चाहिए। कोई कंपनी ऐसा नहीं करती, तो उसे अवश्य ही दंडित किया जाना चाहिए। बहरहाल, जांच एजेंसियों को ऐसे कदम उठाते समय यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि वे ना सिर्फ निष्पक्ष हों, बल्कि निष्पक्ष दिखें भी। इस संदर्भ में यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुजरे वर्षों में ऐसी धारणा (जो संभव है कि निराधार हो) बनी है कि भारत सरकार के कुछ पसंदीदा उद्योग घराने हैं और जब उनके हित किसी विदेशी (या देशी) कंपनी से टकराते हैं, तो जांच एजेंसियां अति सक्रिय हो जाती हैं। अतीत में वर्तमान सरकार से ही जुड़े रहे कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस धारणा को भारत में विदेशी निवेश के रास्ते में मौजूदा रुकावटों में एक बताया है। यह समय अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिए प्रतिकूल है। इस वर्ष भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारी गिरावट आई है। इस हाल में उपरोक्त धारणा को तोड़ना अत्यधिक आवश्यक हो गया है। आशा है, ईडी इस अपेक्षा के प्रति जागरूक होगी।

सहकारिता की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण

नितिन प्रधान

गरीब कल्याण और समाज के निचले तबके के लिए समृद्धि का रास्ता खोलने में सहकारिता की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। डेयरी, खाद और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में सहकारिता की सफलता के बाद अब बारी अन्य क्षेत्रों की है। सहकारिता के महाव को समझते हुए सरकार ने इसके लिए अलग से मंत्रालय का गठन भी किया है। बीते तीन वर्ष में सहकारिता क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं। संभवतः यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) को वैश्विक सहकारी समेलन कराने के लिए इस वर्ष भारत आना पड़ा। सहकारिता के बढ़ते महाव को संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी स्वीकारा है, और 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है।



नई दिल्ली में 25 नवम्बर से होने वाली वैश्विक सहकारी सम्मेलन-2024 दुनिया भर के सहकारिता क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा। आईसीए की स्थापना (1895) के 130 वर्षों के इतिहास में पहली बार यह आयोजन भारत में होने जा रहा है। भारत आईसीए का संस्थापक दस्तव्य है। आईसीए सहकारी समितियों को प्रतिनिधित्व करने का शोध वैश्विक संस्था है, जिसकी संख्या दुनिया भर में 30 लाख से ज्यादा है। विश्व में 107 देशों के 310 से अधिक संगठन अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के सदस्य हैं।

इस सम्मेलन की मेजबानी की बागडोर विश्व की अग्रणी सहकारी संस्था इफको समेत देश की 17 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के हाथों में है। महत्वपूर्ण यह भी है कि यह सम्मेलन सहकार से समृद्धि के भारत के संकल्प को पूरी दुनिया में ले जाएगा। आईसीए ने भी इस सम्मेलन का थीम %सहकारिता-सबकी समृद्धि का द्वारा' तय किया है। इस सम्मेलन में भारतीय गांवों की थीम पर बने %हाट' में भारतीय सहकारी उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। बहुत संभव है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस सम्मेलन के दौरान 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाए जाने की ओरपक्ष घोषणा और इस विषय पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करें।

मोदी सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में पिछले तीन वर्ष में दर्जों में महत्वपूर्ण बदलाव कर इसे नई ऊँचाईों पर पहुंचा दिया है। सहकारी आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए नये

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के दौरान जहां संयुक्त

राष्ट्र के निर्धारित लक्ष्य को सहकारिता के माध्यम से पूरा करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी, वहीं सहकारिता के वैश्विक सम्मेलन में इन सभी लक्ष्यों पर व्यापक चर्चा भी कराई जाएगी। लोगों के जीवन स्तर में सुधार के साथ ही वैश्विक चिंताओं को दूर करने को लेकर तैयार बिंदुओं पर भी गंभीर विचार-विमर्श किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने 17 सतत विकास लक्ष्य चिह्नित किए हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए सहकारी समितियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। इसमें पारिस्थितिकी संतुलन, स्थिर आजीविका, गरीबी उन्मूलन, सामुदायिक विकास एवं सहयोग, मिट्टी की सेहत एवं जीवन, माहिला सशक्तिकरण सहित प्राकृतिक संसाधनों पर सभी का समान अधिकार आदि विषयों को शामिल किया गया है। सहकारिता वर्ष मनाए जाने का प्रमुख उद्देश्य इन्हीं लक्ष्यों को पूरा करना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2030 तक की समयावधि निर्धारित की गई है। इसमें सहकारी क्षेत्र की भूमिका पहले ही निर्धारित कर दी गई है, जिससे सम्मेलन का महत्व और भी बढ़ गया है।

देश के लिए बुनौती बने सड़क हादसे

अभियंत बैजनाथ गर्ग

यूं तो अर्थव्यवस्था को रफतार देने वाली सड़कें देश के विकास में अहम भूमिका निभा रही ही हैं, लेकिन आए दिन होने वाले सड़क हादसे कई सवालिया निशान भी खड़े कर रहे हैं।

सड़क हादसे जैसे विकासलक्ष्यों के लिए चुनौती बने हुए हैं। वैश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने पिछले साल वैश्विक सड़क सुरक्षा समाज के दौरान एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसके अनुसार वैश्विक स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं में प्रति वर्ष 1.35 मिलियन से अधिक लोगों को गंभीर शारीरिक चोटें आती हैं। रिपोर्ट के अनुसार, वैश्व में सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली कूल मौतों में से 11 प्रतिशत भारत में होती है।

सड़क दुर्घटनाओं के कारण भारत को होने वाले नुकसान को लेकर विश्व बैंक के आकलन के अनुसार, 18-45 आयु वर्ग के लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर संवाधिक 69 प्रतिशत है। इसके अलावा 54 प्रतिशत मौतें और गंभीर चोटें मुख्य रूप से सवेदनशील वर्ग जैसे पैदल यात्री, साइकिल चालक और दोपहिया वाहन सवार आदि में देखी जाती हैं। भारत में 29 वर्ष-आयु-वर्ग के बच्चों और युवा वयस्कों में दुर्घटना मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। वैश्व सड़क सांख्यिकी के अनुसार, 2018 में सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों की संख्या भारत में पहले स्थान पर था। इसके बाद चीन और अमेरिका का नंबर आता है।

केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, देश भर में होने वाली कूल सड़क दुर्घटनाओं में से 76 प्रतिशत दुर्घटनाएं ओवरस्पीडिंग और गलत साइडपर गाड़ी चलाने जैसे यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण होती हैं। कूल सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहनों और पैदल चलाने वालों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। विश्व वयस्कों का कहना है कि इसके बावजूद सड़क दुर्घटना मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। सहकारी आंदोलन इंजीनियरिंग और नियोजन के दौरान इस प्रतिशत दुर्घटनाओं में से एक अरब से अधिक लोग इन समितियों के सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र के लगभग सभी सदस्य देशों के एक अरब से अधिक लोग इन समितियों के सदस्य हैं, जिनमें से 29 करोड़ से ज्यादा सदस्य भारत में हैं। संयुक्त राष्ट्र के लगभग सभी सदस्य देशों के एक अरब से अधिक लोग इन समितियों के सदस्य हैं, जिनमें से 29 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है।

सहकारी समितियों की संख्या और उनके विकास के संभावनाओं के मामले में भारत का इतिहास गोरवशाली रहा है। भारतीय सहकारी प्रणाली में सबसे बड़ा परिवर्तन पैकेस के मॉडल बायलॉज का कार्यान्वयन है। सहकारिता क्षेत्र में तीन नई राष्ट्रीय बहुराज्यी सहकारी समितियों राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड (एनसीआईएल), राष्ट्रीय सहकारी समिति लिमिटेड (एनसीईएल) और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) के गठन के बावजूद सहकारी समितियों की ओर भी द्वारा करते हैं। सड़क दुर्घटना मृत्यु-दर में दोपहिया वाहनों की ओर भी द्वारा करते हैं। इसके बावजूद दुर्घटना मृत्यु-दर में दोपहिया वाहनों की ओर भी द्वारा करते हैं। सहकारी समितियों की ओर भी द्वारा करत

